'जस्सूसर गेट बालिका स्कूल को मर्ज नहीं करें'

बीकानेर,(कासं)। बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जस्सूसर गेट को एकीकरण से मुक्त रखने तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनाथ की घाटी को मुरलीधर व्यास कॉलोनी में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है।

विधायक जेठानंद व्यास ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जस्सूसर गेट को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जस्सूसर गेट में समन्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की गरीब वर्ग की बालिकाएं इस विद्यालय में अध्ययन कर रही है। एकीकरण से इन बालिकाओं को असुविधा होगी। इसके मद्देनजर शिक्षा मंत्री को इस विद्यालय से मुक्त रखने का आग्रह किया है।

विधायक व्यास ने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनाथ जी की घाटी को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीनाथ घाटी में समन्वित किया गया है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान का भूमि पूजन

■ सुभाष के पत्रों का संकलन व विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना भी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक बताया

बीकानेर, (कासं) एमजीएसयू में अधिष्ठाता छात्र कल्याण, राष्ट्रीय सेवा योजना व अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह आयोजित किया गया एवं भूमि पूजन के साथ सुभाष उद्यान की नींव रखी गई जहां भविष्य में नेताजी की मूर्ति स्थापित की जायेगी।

मुख्य कार्यक्रम के आरंभ में मां सरस्वती की प्रतिमा व नेताजी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलन के बाद अधिष्ठाता छात्र कल्याण व कार्यक्रम संयोजक डॉ. मेघना शर्मा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए सुभाष पर रचे साहित्य के अध्ययन को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु महत्वपूर्ण बताया।

वित्त नियंत्रक अरविंद बिश्नोई ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध नेताजी एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हो गए थे जिसे भेदना अंग्रेजों के लिए एक समय में सर्वाधिक जटिल कार्य हो गया था। मंच संचालन करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉ. उमेश शर्मा ने मंच से अतिथियों का परिचय दिया।

विशिष्ट अतिथि डॉ. बसंती हर्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के सांस्कृतिक मूल्यों को सुस्थापित करने के स्वप्न को बोस ने आगे बढ़ाया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पर अपने व्याख्यानों में सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा प्रहार किया।

मुख्य वक्ता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष आचार्य अन्नाराम शर्मा ने अपने व्याख्यान में बताया कि नेताजी के व्यक्तित्व के अत्यंत विस्तृत स्वरूप को हम उनके द्वारा लिखे पत्रों में देख सकते हैं। उन्होंने स्वराज की परिकल्पना को जिया व अपने आपको स्वाधीनता की लड़ाई हेतु झोंक डाला। सिविल सर्विस में चयनित होने के बावजूद उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दे दिया क्योंकि वह ब्रिटिश सत्ता के अधीन कार्य न करने के अपने सिद्धांतों की रक्षा करना चाहते थे। अपने भ्राता शरद चंद्र बोस को उन्होंने सर्वाधिक पत्र लिखे हैं और हमेशा इस मूलभूत सिद्धांत के साथ जीए कि व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होगा।

अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए कुलगुरू आचार्य मनोज दीक्षित ने कहा कि बोस जीवनभर स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्तित्व को सहेजे रहे। उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा जिसमें यह कहा कि आजाद भारत कैसा होगा, इसका मूल्यांकन हमें पहले ही करना होगा। अभिव्यक्ति की आजादी का महत्व तब मालूम पड़ता है, जब उसे पर ताले लगते हैं। एक ऐसा सैनिक जिसने पूरे राष्ट्र में स्पंदन और स्फूर्ति भर दी। राष्ट्रवादिता का बिगुल बजाते हुए स्वयं को आहूत कर दिया वह व्यक्ति था सुभाष चंद्र बोस। दीक्षित ने सुभाष के पत्रों का संकलन व विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना भी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक बताया।

अपने उद्बोधन में दीक्षित ने आगे कहा कि कई बार कांग्रेस से निराशा के भाव होने पर भी बोस ने एक भी पत्र में गांधी जी के विरोध में कभी कुछ नहीं लिखा और उन्हें हमेशा राष्ट्रपिता की उपाधि देकर ही संबोधित किया। बोस के दौर के राष्ट्रगान को कुलपति दीक्षित ने अपने मोबाइल के ज़रिए विद्यार्थियों को सुनाया और कहा कि यह भारत भाग्य विधाता नामक पुस्तक में समाहित है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/ / **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 21.1.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 01 में माप 30 इन्टू 60 फीट भूखण्ड संख्या डी-08, औलखनगर, श्रीगंगानगर का पटटा संख्या 3874 दिनांक 24.09.2014 को श्री मंगल सिंह पुत्र श्री त्रिलोचन सिंह निवासी 19 जैड श्रीगंगानगर के नाम से जारी किया हुआ है। पटटाधारक द्वारा स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटे का समर्पण कर भूखण्ड की लीज हस्तान्तरित करवाते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अत: उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

Rajkaj Ref No. 12695278 सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/3348 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 23.1.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मोहन अग्रवाल पुत्र श्री राम किशोर निवासी 179 फोर्थ ब्लॉक, रवि चौक पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 13/14 किला नं. 21 में माप 40 इंटू 65 फीट भू.सं. ए-124 वृंदावन विहार, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 20820 दिनांक 10.7.2023 को श्री जयदीप बिहाणी पुत्र श्री गिरधारी लाल बिहाणी के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री मोहन अग्रवाल द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 31.7.2024 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री मोहन अग्रवाल पुत्र श्री राम किशोर निवासी 179 फोर्थ ब्लॉक, रवि चौक पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन सं. :- SGNR/FY24-25/MUT/1276 सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

फरवरी से प्रदेश में कोई भी पात्र राशन से वंचित नहीं रहेगा

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित लोगों के नाम जोड़ने और अपात्र लोगों को हटाने की प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। योजना का पोर्टल जल्द ही खोला जायेगा। ई-केवाईसी से अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिली है। 31 जनवरी 2025 तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को राशन की आपूर्ति बंद कर दी जायेगी। पोर्टल शुरू करने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे वास्तविक जरूरतमंदों को राशन मिलना शुरू हो जायेगा। इसके अलावा, योजना में अपात्र लाभाथिर्यों को हटाकर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जायेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री का कहना है कि फरवरी से प्रदेश में कोई भी गरीब और पात्र व्यक्ति राशन से वंचित नहीं रहेगा। जो भी पात्र होगा उसे जोड़ा जायेगा। ई-केवाईसी और पोर्टल के प्रयोग से इसे कारगर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। आवेदन की जांच पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी की कमेटी द्वारा की जायेगी। गलत जानकारी देकर योजना में नाम जुड़वाने पर आवेदक से बाजार दर पर उठाए गए गेहूं का भुगतान वसूल किया जायेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।